

28-01-2019

Address



प्राची अधिवक्ता उपस्थित आया व प्राची पत्र 202 R/A नोट प्रेस किया पत्रावली का अवलोकन किया गया व प्राची अधिवक्ता को सुना गया प्राची अधिवक्ता द्वारा प्राची पत्र नोट प्रेस किए जाने पर प्रकरण इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निवृत्ति होकर नम्बर से कम हो



अखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकल्याणपुर (जीमगावमरा)